न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

RCMS/2017/00116

मु0नं0–94/2017

उनवान –सरकार बनाम रामवरन पुत्र श्यामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोटरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii)एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक –19.02.2020

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त श्री रामवरन पुत्र श्यामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोटरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 28.04.2017 को 32 केवी के पास बाडी रोड धौलपुर पर दूध विक्रेताओं की चेकिंग के दौरान दूध विक्रेता को रोक कर निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि अभियुक्त/अप्रार्थी द्वारा मोटर साईकिल नम्बर आर जे 11 एसएफ 0374 पर बंधी प्लास्टिक की कैन में रखे करीब 50 लीटर मिश्रित दूध आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। अभियुक्त से मिश्रित दूध विक्रय का खाद्य अनुज्ञापत्र वर्ष 2017 दिखाने को कहा तो उसने अनुज्ञापत्र नहीं होना जाहिर किया। उक्त मिश्रित दूध में मिलावट का शक होने पर उक्त 50 लीटर दूध में से 2 लीटर वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त मिश्रित दूध नमूना डी–1296 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट एलएस/360/एसीटी/2017/381 दिनांक 09.05.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त/अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त/अप्रार्थी बावजूद तामील सूचना उपस्थित नहीं हुआ। अभियुक्त/अप्रार्थी के विरूद्व दिनांक 20.6.18 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण पैरोकार सरकार की एकपक्षीय वहस हेतु नियत किया गया। पैरोकार सरकार को वहस हेतु कई मौके दिये गये। दिनांक 22.1.2020 पैरोकार सरकार उपस्थित नहीं हुये तथा उनका बहस का मौका बंद किया गया तथा पत्रावली आदेश हेतु नियत की गई।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान अलवर की रिपोर्ट एलएस/360/एसीटी/2017/381 दिनांक 90.05.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया मिश्रित दूध सबस्टैंडर्ड प्रकृति का होना पाया गया। जिससे यह भलिभॉति सिद्व होता है कि अभियुक्त/अप्रार्थी द्वारा उक्त सबस्टैडर्ड दूध का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अभियुक्त/अप्रार्थी सबस्टैडर्ड दूध बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री रामवरन पुत्र श्यामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोटरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 1500/–रुपये (एक हजार पॉच सौ–रू0) का जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि

कैशियर कलेक्ट्रैट, धौलपुर को जमा करावें। अभियुक्त/अप्रार्थी श्री रामवरन पुत्र श्यामलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोटरा तहसील धौलपुर जिला धौलपुर से उक्त जुर्माना राशि 1500/-रू0 भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली हेतु तहसीलदार धौलपुर जिला धौलपुर को लिखा जावे। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेन्द्र के.वर्मा)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज0)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर (राज.)